

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

मांग संख्या 65

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व पूंजी जोड़		503.76	5.47	509.23	329.96	5.47	335.43	529.70	5.63	535.33	
		96.04	...	96.04	70.04	...	70.04	70.05	...	70.05	
		599.80	5.47	605.27	400.00	5.47	405.47	599.75	5.63	605.38	
1.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	6.91	5.47	12.38	6.91	5.47	12.38	8.25	5.63	13.88
ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत											
2.	सौर ऊर्जा कार्यक्रम	2810	97.76	...	97.76	72.30	...	72.30	89.25	...	89.25
		3601	0.03	...	0.03	0.03	0.03
		3602	1.42	...	1.42	1.41	...	1.41	1.42	...	1.42
		4810	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.05	...	0.05
	जोड़	99.25	...	99.25	73.75	...	73.75	90.75	...	90.75	
3.	जैव-गैस कार्यक्रम और एनबीबी	2810	29.96	...	29.96	30.74	...	30.74	12.99	...	12.99
		3601	8.01	...	8.01	8.01	...	8.01	8.01	...	8.01
	जोड़	37.97	...	37.97	38.75	...	38.75	21.00	...	21.00	
4.	पवन ऊर्जा कार्यक्रम	2810	22.35	...	22.35	16.00	...	16.00	18.00	...	18.00
5.	जैव पिंड कार्यक्रम	2810	25.54	...	25.54	17.54	...	17.54	26.00	...	26.00
6.	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	2501	1.60	...	1.60	1.00	...	1.00
		3601	6.39	...	6.39	11.40	...	11.40
		3602	1.00	...	1.00	0.10	...	0.10
	Total	8.99	...	8.99	12.50	...	12.50
7.	ऊर्जा के अन्य स्रोत	2810	38.90	...	38.90	32.40	...	32.40	52.00	...	52.00
		3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
		3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	जोड़	40.00	...	40.00	33.50	...	33.50	53.10	...	53.10	
8.	उन्नत चूल्हे	2810	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.30	...	0.30
		3601	0.16	...	0.16	0.16	...	0.16	0.19	...	0.19
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.50	...	0.50	
9.	शहरी और कृषि संबंधी अपशिष्टों से ऊर्जा	2810	14.40	...	14.40	9.40	...	9.40	14.50	...	14.50
10.	सरकारी उद्यमों में निवेश	4810	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
		6810	46.00	...	46.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
	जोड़	96.00	...	96.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	
11.	राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान	2810	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
12.	अन्य मदें	2810	182.14	...	182.14	75.40	...	75.40	231.65	...	231.65
13.	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	60.00	...	60.00	40.00	...	40.00	60.00	...	60.00
कुल जोड़		599.80	5.47	605.27	400.00	5.47	405.47	599.75	5.63	605.38	
ख.	सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
10.01	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी	12810	96.00	487.45	583.45	70.00	399.95	469.95	70.00	265.44	335.44
ग.	आयोजना परिव्यय										
1.	ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	12810	538.40	487.45	1025.85	359.15	399.95	759.10	540.00	265.44	805.44
2.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	1.60	...	1.60	1.00	...	1.00
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	60.00	...	60.00	40.00	...	40.00	60.00	...	60.00
जोड़		600.00	487.45	1087.45	400.15	399.95	800.10	600.00	265.44	865.44	
* शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की मांगों में निर्माण कार्य परिव्यय सहित।											
मांग संख्या 101		12810	0.20	...	0.20	0.15	...	0.15	0.25	...	0.25

1. **सचिवालय** : इसमें गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सचिवालय व्यय संस्थापन सहित सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम तथा सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रावधान है।
 2. **सौर ऊर्जा कार्यक्रम** : सौर लालटेन का अनुसंधान एवं विकास, प्रदर्शन एवं संस्थापन सहित सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम तथा सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा कार्यक्रम और विद्युतीकृत अथवा विद्युतीकृत किए जाने वाले गावों में केवल सामुदायिक प्रयोजनों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय पंपन प्रणालियों हेतु प्रावधान शामिल हैं।

3. **बायोगैस कार्यक्रम:** बायोगैस कार्यक्रम का उद्देश्य कुंकिंग, रोशनी और बिजली उत्पादन हेतु स्वच्छ गैस तथा पशु गोबर और विष्ठा से समृद्ध खाद उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में पारिवारिक प्रकार के संयंत्रों को लोकप्रिय बनाना तथा बायोगैस विकास (एनबीपीडी) संबंधी अनुसंधान एवं विकास भी शामिल है। इसके साथ-साथ इस कार्यक्रम में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने के लिए किसानों को सब्सिडी तथा गुणवत्ता पूर्ण निर्माण के लिए टर्न की कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियनों को शुल्क और पहले तीन वर्षों की अवधि हेतु बायोगैस संयंत्रों के लिए मरम्मत और रख-रखाव सेवा प्रदान की जाती है। दसवीं योजना के दौरान सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम को राज्य क्षेत्र को अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है और एनडीसी उप-समिति द्वारा इस योजना की पुनरीक्षा किए जाने तक यह जारी रहेगा।

4. **पवन ऊर्जा कार्यक्रम :** इसमें पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट) सहित पवन डाटा बेस को सुदृढ़ करना, अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन शामिल हैं।

5. **बायोमास/जैव-ऊर्जा कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के प्रावधान विभिन्न प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए बायोमास विकास और संस्थागत संबंधी अनुसंधान एवं विकास से संबंधित हैं। बायोमास आधारित सह-उत्पादन कार्यक्रम को चीनी उद्योग में विद्युत उत्पादन के लिए शुरू किया गया है। बायोमास गैसीकरण और बायोमास दहन आधारित विद्युत कार्यक्रम को आगे सुदृढ़ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन परियोजनाओं के संस्थापन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन यथा पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

6. **एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम(आईआरईपी):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य गैर-विद्युतीय अक्षय साधनों के माध्यम से कुंकिंग, रोशनी और मोटिव पावर की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। (अपवाद: सामुदायिक प्रयोजनों हेतु सौर प्रकाशवोल्टीय लालटेन और सौर प्रकाशवोल्टीय पंपन प्रणालियां)।

7. (i) **ऊर्जा के अन्य स्रोत :** इसमें अनुसंधान एवं विकास और प्रदर्शन परियोजनाओं तथा पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के प्रयोग का संवर्धन करने के कार्यक्रमों हेतु प्रावधान शामिल हैं, जैसे भूतल परिवहन के लिए ईंधन-सैल प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ऊर्जा, जैव ईंधन, भूतल परिवहन के लिए प्रदूषणरहित ईंधन और वाहन, विद्युत उत्पादन और प्रत्यक्ष ताप अनुप्रयोगों के लिए भू-तापीय ऊर्जा और विद्युत उत्पादन के लिए महासागरीय ऊर्जा। देश में विभिन्न अनुसंधान, वैज्ञानिक, शैक्षिक संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, उद्योग, आदि में परियोजनाएं चलाई जाती हैं। इन नवीन और उन्नत प्रौद्योगिकियों का व्यापक प्रयोग निकट भविष्य में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

(ii) **लघु पनबिजली कार्यक्रम:** लघु पनबिजली (एसएचपी) कार्यक्रम का उद्देश्य नदियों और प्राकृतिक जल प्रपातों के जल प्रवाह का उपयोग करना है। ऐसी प्रणालियों के माध्यम से विकेंद्रित विद्युत उत्पादन को या तो ग्रिड से जोड़ा जा रहा है, या स्थानीय घरों में सीधे ही आपूर्ति की जा रही है। इन परियोजनाओं की

स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययनों, पूंजीगत सब्सिडी हेतु वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

8. **राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम को दसवीं योजना के दौरान राज्य क्षेत्र को अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है और इस मामले में एनडीसी उप-समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक इसे जारी रखा जाएगा।

9. **शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा :** शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ईंधन और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने की दृष्टि से "शहरी, म्युनिसिपल और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर राष्ट्रीय कार्यक्रम" आरंभ किया गया है। इस योजना में अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

10. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश:** भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) विभिन्न नए एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों की परियोजनाओं और योजनाओं में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था की स्थापना की गई है। यह संस्था आंतरिक संसाधनों के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं में वित्त प्रदान करने तथा बाहरी एजेंसियों से निधियां जुटाने के लिए उत्तरदायी है।

11. **राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान(एनआईआरई):** बायोईंधन, सिंथेटिक ईंधन और बायोऊर्जा के क्षेत्र में अद्यतन अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों तथा इनका वाणिज्यीकरण करने संबंधी कार्यक्रमों को चलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था की आवश्यकता महसूस की गई। इसे ध्यान में रखते हुए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है। चालू वर्ष के दौरान विभिन्न तैयारी कार्यक्रमों और पंजाब में जालंधर-कपूरथला रोड पर संस्थान के भवनों और परिसर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

12. **अन्य मदें :** (i) इनमें सूचना और प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान, मूल्यांकन एवं डाटा बैंक (टाइफैड), मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण, अक्षय ऊर्जा पर अनुसंधान एवं विकास और ऊर्जा पार्कों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

(ii) **दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण:** मंत्रालय ने ऐसे सभी अविद्युतीकृत दूरस्थ गावों और बस्तियों, जहां ग्रिड विस्तार या तो किफायती नहीं है या व्यवहार्य नहीं है, का अक्षय ऊर्जा स्रोतों मुख्यतया बायोमास, लघु पनबिजली, सौर, आदि के माध्यम से विद्युतीकरण का कार्य आरंभ किया है। मंत्रालय का उद्देश्य दसवीं योजना अवधि के दौरान 5,000 दूरस्थ जनगणना गावों का विद्युतीकरण करना है।

13. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम हेतु एकमुश्त प्रावधान:** इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन और मानीटरिंग के लिए इन राज्यों में राज्य नोडल एजेंसियों की स्थापना हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल है।